

कार्यालय जिला विकास शाखा, मुंगेर।

आदेश

माननीय पूर्व विधायक श्री शकुनी चौधरी, तारापुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक मद की राशि से अनुशंसित एवं कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 318 दिनांक 20.12.2010 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निम्न तालिका में उल्लिखित योजनाओं के अवशेष 40% (चालीस प्रतिशत) राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि योजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के पश्चात् जिला स्तर से नामित पदाधिकारी के द्वारा योजना का स्थल निरीक्षण के बाद शेष 10% राशि विमुक्त की जायेगी। साथ ही अन्तिम भुगतान के पूर्व कार्यान्वयन एजेंसी निश्चित रूप से योजना का निरीक्षण करेंगे और संतुष्ट होने के पश्चात ही भुगतान करेंगे।

नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि निम्नतालिका के स्तम्भ 6(छः) में उल्लेखित राशि का चेक स्तम्भ-3 (तीन) में अंकित पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

क्र०	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्ति की राशि	विमुक्त की राशि (40%)
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम गनेली में किशोरी बाबू के घर से विषहरी स्थान होते हुए जिला योजना पथ तक पी०सी०सी० कार्य।	प्र० वि० पदा०, तारापुर	59500/-	29750/-	23800/-
2	राजगुरु तारापुर में अरुण सिंह घर से वासुकी मंडल घर की ओर पी०सी०सी० सड़क का निर्माण।	तथैव	83600/-	41800/-	33440/-
3	लखनपुर डोंड में सुरक्षात्मक दिवाल का निर्माण कार्य।	तथैव	500000/-	250000/-	200000/-
4	मणिकपुर पश्चिम टोला में सामुदायिक भवन से भूरहा डोंड तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	तथैव	71200/-	35600/-	28480/-
5	गाजीपुर मुख्य पथ से एतशाम घर तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण।	तथैव	27200/-	13600/-	10880/-
6	गाजीपुर ग्राम में शहीदी से छोटु मिस्त्री घर तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण।	तथैव	68600/-	34300/-	27440/-
7	ग्राम शिशुआ मुख्य पथ से रामखेलावन यादव घर तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	तथैव	65200/-	32600/-	26080/-
		कुल	8,75,300/-	4,37,650/-	3,50,120/-

द्रष्टव्य :-


- कुल प्रशासनिक स्वीकृत की राशि :- 8,75,300/- (आठ लाख पछत्तर हजार तीन सौ रूपये)
- पूर्व में विमुक्त राशि :- 4,37,650/- (चार लाख सैंतीस हजार छह सौ पचास रूपये)
- विमुक्ति की राशि :- 3,50,120/- (तीन लाख पचास हजार एक सौ बीस रूपये)

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांक:- 21 जि०वि०, मुंगेर / दिनांक :- 25/02/12

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ अपने नाजिर का चेक प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।


उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।